न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–53/2020

अनवर हुसैन.....वादी

बनाम

दिनेश शर्मा.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
05.10.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 14.02.2023 अंतर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 14.02.2023 में कहा गया है कि प्रतिवादी दिनांक 12.02.2021 को न्यायालय में उपस्थित हुये तथा बयान तहरीरी दाखिल करने हेतु समयावेदन दाखिल किया गया, जो श्रीमान् द्वारा स्वीकार किया गया। प्रतिवादी को प्रस्तुत वाद से संबंधित कुछ जरूरी कागजात का नकल समय से प्राप्त नही होने के कारण प्रतिवादी अपना जवाब दाखिल निर्धारित समय सीमा के अतंर्गत नही कर सके। अतः दिनांक 22.06.2022 को प्रतिवादी को अपना जवाब दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। प्रतिवादी प्रस्तुत वाद में अपना बयान तहरीरी दाखिल कर संघर्ष करना चाहते है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दिनांक 22.06.2022 के आदेश को वापस लेते हुये प्रतिवादी का बयान तहरीरी स्वीकार कर इस वाद में संघर्ष करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अगर प्रतिवादी को इस वाद में संघर्ष करने की अनुमति नही दी जायेगी तो प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी की ओर से प्रतिवादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 25.04.2023 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादी का आवेदन विधि एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से विचारणीय नही है। प्रतिवादी दिनांक 12.02.2021 को उपस्थित हुये परंतु 18 माह बाद तक भी बयान तहरीरी दाखिल नही किये। अतः प्रतिवादी का आवेदन खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी दिनांक 12.02.2021 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 22.06.2022 को प्रतिवादी की ओर से बयान तहरीरी समय	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–53/2020</u>

अनवर हुसैन.....वादी

बनाम

दिनेश शर्मा.....प्रतिवादी

लगातार 05.10.2023	से दाखिल न करने के कारण बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी काफी समय के बाद दिनांक 23.08.2022 को न्यायालय में अपना बयान तहरीरी दाखिल किये है तथा प्रस्तुत वाद में संघर्ष करना चाहते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी का आवेदन मो0–2500/– (दो हजार पाँच सौ) रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दिनांक 22.06.2022 के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादी की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 03.11.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	